स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जनपद–अमरोहा

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जिला स्वचछता समिति, अमरोहा की बैठक दिनांक 22 अक्टूबर 2024 की कार्यवाही का विवरणः– आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अर्न्तगत जिला स्वच्छता समिति /जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमैंट कमेटी, अमरोहा की बैठक का आयोजन जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में अपरान्ह 12:30 बजे से कलैक्ट्रेट गांधी सभागार में किया गया जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने प्रतिभाग कियाः–

01. जिलाधिकारी।	अध्यक्ष
02. मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा।	उपाध्यक्ष
03. परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 अमरोहा।	सदस्य
04. जिला पंचायत राज अधिकारी, अमरोहा।	सचिव/सदस्य
05. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, अमरोहा।	सदस्य
06. जिला कार्यक्रम अधिकारी, अमरोहा।	सदस्य
07. जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा।	सदस्य
08. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अमरोहा।	सदस्य
09. समस्त खण्ड विकास अधिकारी	
10. जिला कन्सलटेन्ट, स्व0भा0मि0(ग्रा0)।	

01. **गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि–**

सर्वप्रथम जिला पंचायत राज अधिकारी/सचिव, जिला स्वच्छता समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गत बैठक दिनांक 11 सितम्बर 2024 की कार्यवाही तथा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन पढ़कर सुनाया गया। गत बैठक के आयोजन की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई तथा अनुपालन आख्या पर समिति द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया–

02. **योजनान्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेंट के अन्तर्गत ब्लैक वॉटर के प्रबन्धन हेतु जनपद की ग्राम पंचायत चुचैला कलां विकास खण्ड धनौरा में निर्मित कराये जा रहे Stationary FSSm Plant (Onsite Sludge Treatment and Dewatering System with Supply of CESSPOOL Vehicle) के सफल एवं सूचारू संचालन हेतु विद्युत व्यवस्था प्रबन्धन की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना–** जिला पंचायत राज अधिकारी/सदस्य सचिव जिला स्वच्छता समिति द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेस–2 अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत क्रियान्वयन दिशा निर्देश में मलीय कचरा प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण घटक है। योजनान्तर्गत भारत सरकार तथा शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के पृष्ठ संख्या–26 के प्रस्तर संख्या 5.6 में मलीय कचरा प्रबन्धन/फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट हेतु समुचित तकनीकी अपनाये जाने की व्यवस्था की गई है। गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता के लिये आवश्यक है कि गंगा किनारे के जनपदों में फीकल स्लज का समुचित प्रबन्धन किया जाना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सेप्टिक टैंक को डीस्लज करना व उनका समुचित निपटान किया जाना चुनौती पूर्ण है।

तदक्रम में मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–5/733/2024–25 /02/2022 लखनऊ दिनांक 10 जून 2024 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेंट हेतु Stationary FSSM Plant (Onsite Sludge Treatment and Dewatering System with supply of CESSPOOL VEHICLE) 20 के0एल0डी0 की क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना हेतु स्टेट मिशन द्वारा ई–टेण्डर के माध्यम से तकनीकी संस्था का TPS INFRASTRUCTURE LIMITED M-84, Commercial Complex, Greater Kailash Part-II, New Dehli-110048 का चयन किया गया है। शासन द्वारा प्रथम चरण में जनपद अमरोहा एवं हापुड़ में Stationary FSSM Plant (Onsite Sludge Treatment and Dewatering System with supply of CESSPOOL VEHICLE) कराया जाने का निर्णय लिया गया है।

तदक्रम में समिति को अवगत कराना है कि उक्त संयंत्र के संचालन हेतु 30 किलोवाट विद्युत संयोजन की आवश्यकता होगी। उक्त क्षमता के विद्युत संयोजन की स्थापना हेतु विद्धुत विभाग द्वारा लगभग 13 से 15 लाख रू0

Scanned with OKEN Scanner

की धनराशि का व्यय होना मौखिक रूप से बताया गया है तथा प्रति मासिक लगभग 15 हजार से 20 हजार की सीमा के भीतर विद्युत देयकों का भुगतान भी किया जाना सम्भावित है।

समिति को अवगत कराना है कि शासन तथा कार्यदायी संस्था के साथ हुये एग्रीमेन्ट के अनुसार संयंत्र का निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से अग्रिम तीन वर्ष की अवधि तक संयंत्र का संचालन नामित कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा जिसकी संचालन धनराशि संयंत्र की निर्माण लागत में सम्मिलित है। तीन वर्ष की अवधि संचालन के उपरान्त संयंत्र का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा जिला स्वच्छता समिति द्वारा मासिक विद्युत बिलों की धनराशि का भुगतान किये जाने में होने वाली सम्भावित कठिनाईयों को दृष्टिगत् रखते हुये राज्य स्वच्छता मिशन कार्यालय में दूरभाष पर श्री एस0एन0 सिंह नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) उत्तर प्रदेश से हुई वार्ता के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त संयंत्र के नियमित तथा सफल संचालन हेतु 30 किलोवाट की वांछित क्षमता वाले विद्युत संयोजन के लिये न्यूनतम 40 किलोवाट की क्षमता वाले ऑफग्रिड सोलर उर्जा सिस्टम को भी स्थापित कराया जा सकता है जिससे यह लाभ होगा कि विद्युत बिलों की देयता पर व्यय होने वाली धनराशि की बचत हो सकेगी तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता होने पर संयंत्र का सफल संचालन/क्रियान्वित किया जाना सम्भव हो सकेगा। उक्त सोलर उर्जा सिस्टम की स्थापना कराये जाने पर जो भी धनराशि व्यय होगी उसके भुगतान हेतु राज्य मिशन कार्यालय द्वारा एस0एन0ए0 बैंक खांते में धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी जिसे वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुये जिला स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

जिला पंचायत राज अधिकारी/सदस्य सचिव जिला स्वच्छता समिति के द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि परियोजना अधिकारी नेडा से सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना पर व्यय होने वाली धनराशि के विषय में ज्ञात करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ के द्वारा अपने पत्र संख्या–4821/यूपीनेडा/ऑनग्रिड/ऑफग्रिड–जनरल/2023–24 दिनांक 05 दिसम्बर 2023 के द्वारा प्रति किलोवाट ऑफग्रिड सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना पर 161084.35 रूपये की दर से कुल 40 किलोवाट X रू0 161084.35= रू0 64,43,374.00 की धनराशि व्यय होगी।

उक्त के अतिरिक्त 40 किलोवाट की क्षमता वाले ऑफग्रिड सौर उर्जा संसंत्र की स्थापना पर व्यय होने वाली धनराशि के विषय में स्थानीय बाजार में उक्त क्षेत्र में कार्य करने वाली तथा नेडा से एप्रुव्ड फर्मो से रेट कूटेशन मांगे जाने पर मैसर्स चिकारा एन्टरप्राईजेज प्रा0लि0 आवास विकास अमरोहा द्वारा 40KW (240V) OFF GRID SOLAR ROOFTOP SYSTEM की स्थापना पर अंकन रू0 18,00,000–00 की धनराशि व्यय किये जाने की रेट कूटेशन उपलब्ध कराई गई है।-

समिति द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी/सदस्य सचिव जिला स्वच्छता समिति के द्वारा समिति के समक्ष उक्त Stationary FSSM Plant (Onsite Sludge Treatment and Dewatering System with supply of CESSPOOL VEHICLE) 20 के0एल0डी0 की क्षमता वाले संयंत्र के सफल संचालन हेतु विद्युत आपूर्ति/उर्जा प्रबन्धन के लिये 40 किलोवाट की क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुये निर्देश दिये गये कि सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना कराये जाने के लिये जैम पोर्टल अथवा अन्य निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार निविदा आमंत्रित करते हुये न्यूनतम दरों वाली फर्म का चयन किया जाये तथा समस्त वित्तीय तथा स्टोर/पर्चेच नियमों का पालन करते हुये कराया जाये। उक्त सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर व्यय होने वाली धनराशि को प्राप्त करने के लिये जिलाधिकारी महोदया की ओर से राज्य स्वच्छता मिशन कार्यालय लखनऊ से पत्राचार करने तथा प्राप्त धनराशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को अवमुक्त करते हुये उसके माध्यम से व्यय करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदत्त की गई।

अन्त में कोई विषय न होने की दशा में जिला स्वच्छता समिति द्वारा उपरोक्त वर्णित सभी कराये कार्यो एवं उन पर व्यय की गई धनराशि का अनुमोदन तथा वर्णित प्रस्तावित कार्यो को कराने एवं उन पर नियमानुसार धनराशि व्यय करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान करते हुये उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद देते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

28/10/24

जिला पंचायत राज अधिकारी/
सदस्य सचिव, जिला स्वच्छता समिति
अमरोहा।

DCS SBM(G)   DC-SBM(G)

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला स्वच्छता समिति
अमरोहा।